<u>प्रशासनिक अनुभाग, जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी।</u>

प्रशा० आदेश सं०- 15 /2022 दिनांक- 18/01/2022

<u>आदेश</u>

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-**2427/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated 16 January 2022** के अनुसार कोविड-19 की अद्यतन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुक्रम में जनपद न्यायालयों में कोई भी वादकारी, जमानती एवं उसके पैरोकार/प्रतिनिधि न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं करेंगे।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में किसी भी वादकार,जमानती एवं उसके पैरोकार/प्रतिनिधि की उपस्थिति न्यायालय में यदि आवश्यक समझे, तो अधिवक्ता से शिनाख्त के उपरान्त अनुरोध पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अग्रसारित करें।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

Bhanudeo 18/01/2022

भानु देव शर्मा,
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।